

## आदेश

बिहार पुलिस अधिनियम की धारा-10 की आलोक में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुशंसा पर स्थानान्तरण के बिन्दु पर निर्णय हेतु दिनांक-19.09.2022 को आहुत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण नीचे उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित जिला बल/इकाई में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	स्थानान्तरित जिला/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा०पु०नि० (प्रशि०)	उपेन्द्र सिंह	गया	15.06.63	औरंगाबाद	गया	गया
2	स०अ०नि०	नवीन कुमार सिंह	पटना	01-08-64	मधेपुरा	पटना	पटना
3	स०अ०नि०	भगेरन प्रसाद राय	सारण	12-08-64	पटना	सारण	सारण
4	स०अ०नि०	राम प्रसाद रजक	औरंगाबाद	07-08-64	पूर्णियाँ	औरंगाबाद	औरंगाबाद
5	स०अ०नि०	मंजू देवी	नवादा	05-08-64	समस्तीपुर	नवादा	नवादा
6	स०अ०नि०	सिकन्दर सिंह	खगड़िया	12-02-64	नवादा	खगड़िया	खगड़िया
7	स०अ०नि०	सत्येन्द्र चौधरी	भोजपुर	05-02-64	मधेपुरा	भोजपुर	भोजपुर
8	स०अ०नि०	राम दयाल प्रसाद विद्यार्थी	जहानाबाद	08-07-64	मानव संसाधन विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग	जहानाबाद	पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक-535 /पी०-०१, दि०-३०. ०८.२०२२ द्वारा मधेपुरा जिला में किये गये स्थानान्तरण को रद्द करते हुये जहानाबाद

2. निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवानिवृत्ति के आधार पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त स्थानान्तरण समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया है:-

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स०अ०नि०	जालेश्वर प्रसाद यादव	मधेपुरा	07-07-64	गया	सहरसा	अस्वीकृत
2	स०अ०नि०	जयनारायण राय	सारण	05-02-65	पटना	सारण	अस्वीकृत

2/11/22

12/9/22

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8
3	स0अ0नि0	बैद्यनाथ चौधरी	मधेपुरा	02-05-64	शिवहर	सहरसा	अस्वीकृत
4	स0अ0नि0	मो0 सबोजान	मधुबनी	05-12-64	पटना	मधुबनी	अस्वीकृत

3. स्थानान्तरण संबंधित कर्मियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलंब अवगत करायेंगे। सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को अविलम्ब विरमित कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
4. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदा०/कर्मियों का वर्तमान पदस्थापन स्थल से क्षेत्रीय स्तर अथवा अन्य स्तर से अन्यत्र स्थानान्तरण हुआ हो, तो उन्हें वर्तमान पदस्थापन स्थल से ही विरमित करना सुनिश्चित करें।
5. जिन पदा०/कर्मियों का सेवा मात्र 06 माह या उससे कम रह गया है परंतु उनके अभ्यावेदन के आलोक में समिति द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, यदि उक्त पदा०/कर्मी यथावत बने रहना चाहते हैं तो वैसे पदा०/कर्मी को यथावत छोड़ दिया जाय।
6. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
7. उक्त आदेश पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
 पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),  
 बिहार, पटना

पत्र संख्या-पी0-02/07-06-25-2022/.....1232  
 बिहार पुलिस मुख्यालय  
 (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक.....23/09/22

प्रतिलिपि :-

1. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रेल/इकाई सहित)/सभी समादेष्टा/सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. प्रशाखा पदाधिकारी, पी0-1 बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
 पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),  
 बिहार, पटना

2mm